

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2846 /

जबलपुर, दिनांक 30/06/2023

दो-14-45/2020

नेहा सिंह, सहायक ग्रंथपाल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के अवकाश नियम 17 एवं 23 के अनुसार दिनांक 16.01.2023 से 05.02.2023 तक 21 दिन का लघुकृत अवकाश एवं अवकाश नियम 38 के अनुसार दिनांक 06.02.2023 से 04.08.2023 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(रामकुमार चौबे)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2847 /

जबलपुर, दिनांक 30/06/2023

दो-14-45/2020

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. नेहा सिंह, सहायक ग्रंथपाल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)